समाचार–प्रकाशनार्थ :–

विधायक श्री चेतन्य काश्यप, कलेक्टर श्रो कुमार पुरुषोत्तम द्वारा शनिवार को शहर में निर्माणाधीन सड़कों का जायजा लिया गया

सड़क भूमिपूजन भी किया, समस्त कार्यों को 15 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए

रतलाम 05 मार्च । रतलाम शहर विधायक माननीय श्री चेतन्य काश्यप तथा कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व निगम इंजीनियरों के साथ शनिवार को शहर का सघन भ्रमण करके निर्माणाधीन सड़कों तथा अन्य कार्यों का जायजा लिया गया। शहर में लगभग 5 करोड़ रूपए के टेंडर सड़कों के निर्माण हेतु जारी हुए हैं। विधायक तथा कलेक्टर द्वारा निरीक्षण की गई सड़कों के संबंध में ठेकेदारों को आगामी 15 मई तक कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। बताया गया कि होली के त्यौहार के पश्चात कार्य गति पकड़ेंगे। इस दौरान एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान विधायक माननीय श्री चेतन्य काश्यप द्वारा चोमुखीपुल से गणेश देवरी तक बनने वाली सड़क निर्माण का भूमिपूजन किया गया। बताया गया कि आगामी एक माह मे सड़क का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके पश्चात पैलेस रोड से लगे चक्की वाली गली में सड़क निरीक्षण के दौरान विधायक द्वारा निर्देशित किया गया कि कोई भी जगह निर्माण से छूटे नहीं, कच्ची जगह पक्की की जाए। आवश्यकता होने पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएं।

इसके पश्चात शेरानीपुरा पहुंचकर जमातखाने से लेकर हजीरा पुलिया तक बनने वाली सीसी रोड के लिए स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान पर्याप्त स्थान उपलब्धता के दृष्टिगत 12 मीटर सड़क निर्माण तय किया गया। रविवार से 6 मीटर सड़क निर्माण आरंभ कर दिया जाएगा जो पूर्व में 4 मीटर प्रस्तावित था, बाकी 6 मीटर सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी होंगे, पोल शिफ्टिंग भी किए जाएंगे तथा जहां चौडाई कम है, वहां पूरी चौडाई में सडक बनाने के लिए रजिस्ट्री चेक करके अतिक्रमण होने पर हटाया जाएगा। बताया गया कि हजीरा पुलिया भी नए सिरे से बनाई जाएगी। मॉर्निंग स्टार से टैंकर रोड सड़क निर्माण का निरीक्षण भी किया गया, कार्य पूरा कर लिया गया है परन्तु आगे औद्योगिक क्षेत्र तक कनेक्टिविटी देने के लिए छूटे हुए हिस्से पर सडक निर्मित की जाएगी तथा आगे जेवीएल मंदिर तक रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद इंद्रलोक नगर मेन रोड निर्माणाधीन डामरीकरण कार्य देखा गया। जनचेतना मूक बधिर स्कूल परिसर में 72 लाख रुपए लागत से निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स का निर्माण तेजी से चल रहा है। यहां टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन हाल की सुविधा रहेगी। कार्य आगामी 15 मई तक पूरा कर लिया जाएगा।

डोंगरे नगर में निर्माणाधीन सीमेंट कांक्रीट सड़क निरीक्षण किया गया। विधायक ने निर्देश दिए कि कोई भी जगह छूटे नहीं और जहां अतिक्रमण हो उसे हटाकर कार्य किया जाए। अंबे माता चौक से साईं बिल्डिंग तक डामर सड़क निर्माण देखा गया। सेठजी के बाजार में ढाई सौ मीटर लंबे मार्ग निर्माण के लिए निरीक्षण किया गया। विधायक द्वारा निर्देशित किया गया कि नाली निर्माण, पेवर ब्लॉक व्यवस्थित ढंग से किए जाएं। विधायक तथा कलेक्टर

नयागांव क्षेत्र में पहुंचे, जहां पूर्व पार्षद सुश्री सीमा टांक द्वारा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के संबंध में विधायक तथा कलेक्टर को बताया गया।

विनोबा नगर मुक्तिधाम पहुंचकर भी निरीक्षण किया गया जहां विधायक निधि से शेड निर्मित किया जा रहा है। सामने के चोराहे पर विधायक द्वारा नागरिको की मांग पर हाई मास्ट लगाने के निर्देश दिए गए। मुक्तिधाम के बगल में खाली पड़ी भूमि पर सब्जी तथा फल वालों को बैठन के लिए स्थान देने पर चर्चा की गई तथा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सब्जी तथा फल वालों के लिए सैलाना ओवरब्रिज के नीचे एवं एमपीईबी ग्रिड के सामने खाली पड़ी भूमि का भी निरीक्षण करके कार्य शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया। साक्षी पेट्रोल पंप के सामने 20 हजार स्क्वायर फीट भूमि का उपयोग भी फल तथा सब्जी वालों को स्थान देने के लिए किया जाएगा। धोलावाड़ कार्यालय के बाहर सुविधा घर निर्माण हेतु निर्देशित किया गया।

विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, निगम आयुक्त व गणमान्य नागरिकों ने अंकूर अभियान के तहत अमृत सागर उद्यान में 200 पौधो का रोपण किया अभियान के तहत विभिन्न उद्यानों में 1495 पौधो का हुआ रोपण

रतलाम 04 मार्च । प्राण वायु हेतु शासन द्वारा 1 से 5 मार्च तक चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजेन्द्रसिंह लुनेरा, कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, सीईओ जिला पंचायत श्रीमतो जमुना भिड़े, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य नागरिकों ने अमृत सागर उद्यान में पौधो का रोपण किया जाकर रोपे गये पौधा के फोटो को अंकूर एप पर डाउनलोड किया गया।

अंकूर अभियान के अंतिम दिन 5 मार्च शनिवार को अमृत सागर उद्यान में शीशम, केशिया, गुड़हल, नीम, करंज, अमलतास, कनेर आदि प्रजातियो के 200 पौधो का रोपण कर उन्हे सहेजने का संकल्प लिया गया। अंकुर अभियान में नगर निगम ने पहले दिन 425 , दूसरे दिन 490, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 80, और पांचवे दिन 200 पौधे इस तरह कुल 1495 पौधो का रोपण नगर के विभिन्न उद्यानों में किया गया।

अंकुर अंतिम दिन तक कुल 1495 पौधों का पौधारोपण किया है निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शासन द्वारा चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत 4 मार्च शुक्रवार को बजरंग नगर, तिरूपति नगर, जिला शिक्षा केन्द्र, बोहरा बाखल सहित अन्य उद्यानों में शीशम, केशिया, गुड़हल, नीम, करंज, अमलतास, कनेर आदि प्रजातियो का पौधा रोपण करते हुए 80 पौधो का रोपण किया गया।

इस अवसर पर सर्वश्री बजरंग पुरोहित, अशोक पोरवाल, मनोहर पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय, जयवंत कोठारी, दिनेश शर्मा, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, उद्यान पर्यवेक्षक अनिल पारा, सहित राजस्व और नगर निगम के अमले सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

लोक अदालत में करो की बकाया राशि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

12 मार्च शनिवार को लोक अदालत का आयोजन

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 05 मार्च । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया ह।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– से अधिक तथा रूपये 50,000/– तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया हाने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020–21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12/03/2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र

नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 5 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेश

रतलाम 5 मार्च । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न चौराहो, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ–स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमे सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

5 मार्च को 1 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 05 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 05 मार्च शनिवार को 1 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

05 मार्च शनिवार को डम्पर से 29380, ट्रेक्टर से 21080, मैजिक सूखा कचरा 33520, मैजिक गीला कचरा 16820 किलो इस तरह कुल 100800 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

7 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर मे अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 05 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति का चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 7 व दोपहर की शिफ्ट में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में

उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

05 मार्च शनिवार को वार्डो में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में रमेश–राजेन्द्र, बरखा पति सुरश, अजय–विनोद, झोन क्रमांक 2 में संगीताबाई पति हरीश, उषाबाई पति मनोहर, झोन क्रमांक 3 में मनीष–विजय, झोन क्रमांक 4 में रेखाबाई पति प्रहलाद, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में मनोरमाबाई पति जगदीश, सुनिताबाई पति संजय, रवि पिता संजय, झोन क्रमांक 4 में रमेश पिता बाबुलाल इस तरह 7 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पतिबंधित

रतलाम 05 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रोम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई को पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 05 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों

एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होने अपने श्वान का रजिस्टेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना–पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/– एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/– प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/– रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 05 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 205 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 05 मार्च । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो

के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाहो की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 05 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 05.03.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.